


29/08/23

पञ्जावली काठ वेरा डूरी वकील कारो
 उपास्थित। विजाकीमो महुपस्थित।
 विजाकीमो के कोरे समय के तीन
 बार तीन-तीन मकाके डिमाई
 गरी कावसुस मकाके डिमाई के
 विजाकीमो महुपस्थित। मः विजाकीमो
 के विन इ एक तलम कारवाही की
 जानी है वकील जायी के पञ्जावली पर
 बरक सुनी गरी कोरे मकाके
 विनाम जाकर सुने पायालम
 सुनाम गरी कोरे की पालना की
 तहसीर जारी हो पालना जाला होने
 पर शामिल पञ्जावली की जिया पञ्जावली
 विनाम सुनाम होकर इरिक्ल इफर हो


 उपरवण्ड अधिकारी, गुडामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)
पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलवी आर.ए.एस

संख्या : 109 / 2023

प्रार्थीगण :-

1. सताराम पुत्र भगाराम
जाति जाट निवासी हुड्डासर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण :-

बनाम

1. चनणाराम पुत्र भगवानाराम
2. चूनाराम पुत्र भगवानाराम
3. भीयाराम पुत्र भगवानाराम
4. सुगणीदेवी पत्नी भगवानाराम
5. हनुमानराम पुत्र भगवानाराम
जाति नाई निवासी रोली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 29.08.2023


प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपटित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत् 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुडामालानी के खेत खसरा नम्बर 244/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माटे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित

भूमि मौजा रोली पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा नम्बर 244/69 रकबा 0.7805 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपराली को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29/8/23..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(रामजी भाई कलवी)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी